न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या–100/2017–18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

रविन्द्र स्वाँसी बनाम श्रवण स्वाँसी

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

विक्रेता का नाम एवं पता– रविन्द्र स्वाँसी, पिता–स्व० जानकी लाल स्वाँसी, ग्राम–पुण्डीदीरी, डाकघर–पुण्डीदीरी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता– श्रवण स्वाँसी, पिता–शिवनाथ स्वाँसी, ग्राम–देगादारी, डाकघर–कुन्दला, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री रामचरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–13/09/2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता श्रवण स्वाँसी, पिता–शिवनाथ स्वाँसी, ग्राम–देगादारी, डाकघर–कुन्दला, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसांईडीह	बुण्डू/13	97	317	04 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बुण्डू के पत्रांक–41, दिनांक–18/01/2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम– बकास्त (लगान पाने वाला जगरन्नाथ दास गोराई वगै०) है। खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध क्रय–विक्रय का है।

(ख) पंजी–II के अनुसार रैयत के पास कुल रकवा 17½ डी० जमीन है।

(ग) जमाबंदी कायम होने का आधार– स्वंम है।

(घ) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि कायमी किस्म का है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(ङ) प्रस्तावित जमीन में आवेदक का पूर्ण हिस्सा है।

(च) प्रस्तावित जमीन विक्रय के पश्चात आवेदक के पास 13.5 डी० जमीन शेष रह जाएगा तथा प्रस्तावित जमीन को विक्रेता शादी हेतु विक्रय करना चाहते हैं।

(छ) क्रेता–विक्रेता दोनों एक ही थाना के अन्तर्गत आते हैं। क्रेता–विक्रेता दोनों एक ही जाति स्वाँसी हैं। आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। पंजी II रैयत का नाम रवीन्द्र स्वाँसी पिता स्व० जानकी लाल स्वाँसी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता रविन्द्र स्वाँसी, पिता–स्व० जानकी लाल स्वाँसी, ग्राम–पुण्डीदीरी, डाकघर–पुण्डीदीरी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती को क्रेता श्रवण स्वाँसी, पिता–शिवनाथ स्वाँसी, ग्राम–देगादारी, डाकघर–कुन्दला, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–13/09/2017 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता रविन्द्र स्वाँसी, पिता–स्व० जानकी लाल स्वाँसी, ग्राम–पुण्डीदीरी, डाकघर–पुण्डीदीरी, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती को क्रेता श्रवण स्वाँसी, पिता–शिवनाथ स्वाँसी, ग्राम–देगादारी, डाकघर–कुन्दला, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–स्वाँसी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसांईडीह	बुण्डू/13	97	317	04 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

23/01/18 — **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू राँची।**

23/01/18 — **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बुण्डू राँची।**